MOTION FOR ELECTION TO THE COUNCIL ESTABLISHED UNDER SECTION 31(1) OF THE INSTITUTES OF TECHNOLOGY ACT, 1961

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to move the following motion:

> "That in pursuance of clause (k) of sub-section (2) of Section 31 read with sub-section (1) of Section 32 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to be a Member of Council established under-section (1) of Section 31 of the said Act."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions... *(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I have a small submission... *(Interruptions)....*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Leader of the Opposition.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Alleged violation of Code of Conduct by a Minister of the Union Cabinet

विपक्ष के नेता (श्री जसवन्त सिहं) : आदरणीय उपसभापति जी, मुझे आप से एक अर्ज करनी है । जहां तक आचार संहिता का प्रश्न है, वैसे तो इसके बारे में हम सभी जानते है । मैं चुनावी आचार संहिता के बारे में ही नही बात कर रहा हूं , बल्कि मैं अपनी एक बात आपके सामने रखता हु । जैसे हमारे सभी सांसदों की एक आचार संहिता है, उसी रूप में , उसी के तहत, उसी की देख – रेख के लिए और उसमें कुछ औपचारिकताएं , कुछ मापदंड बैठाने के लिए, माननीय महाराज कश्मीर की अध्यक्षता में एक एथिक्स कमेटी भी बनी है । जैसे सांसदों पर आचार संहिता के लिए एथिक्स कमेटी है और जैसे आचार संहिता का प्रश्न उठा है, मेरे विचार में उसी प्रकार से मंत्रियों पर भी आचार संहिता लागू होती है । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : बोलने दीजिए ।

श्री जसवन्त सिहं : मैंने स्वयं नही देखा है, इसलिए मैं यह नही कह सकता कि मैंने देखा है, लेकिन हमारे कई मित्रों को अखबार में पढ़ने को मिला है । चूंकि सुबह के वक्त से ही इतना कोहरा था इसलिए सवेरे अखबार पढ़ने के अलावा और कोई काम ही नही था । फिर हमको ऎसा बताया गया